न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 04/2020

1. ओमप्रकाश पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गांव निनाण त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. हरिसिंह पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा
2. दयाराम पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
3. देवीलाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
4. कृष्णा पुत्री हरीसिंह पत्नी मुंशीराम जाति जाट निवासी निनाण।
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहीताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 282/267 के मु0 न0 19, 20, की कुल 1.4670है0 बारानी जिसमें 1.4420है0 बारानी, 0.025है0 रास्ता व इसी प्रकार चक 10 एएमएस के खाता सं0 111/97 के मु0न0 31, 32, 42 की कुल 2.277है0 जिसमें 2.151है0 नहरी व 0.126है0 रास्ता व इसी प्रकार चक 11 एएमएस के खाता सं0 115/106 के मु0न0 47 की कुल 2.277है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह की बजाय वादी औमप्रकाश व प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह प्रतिवादी सं0 2 दयाराम प्रतिवादी सं0 3 देवीलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शूल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/02/22.......... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़